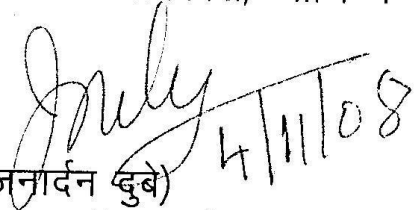


पत्र संख्या-वैट परिपत्र भाग-2(08-09)-782/0809078 / वाणिज्य कर ।
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(वैट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: नवम्बर 4 ,2008

शासन के पत्र संख्या-2710/ग्यारह-2-8-9(295)/07, दिनांक 3-11-08 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 ।
4. समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/ (वि0अनु0शा0)/ (अपील)/ कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
8. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
9. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ ।
10. वैट अनुभाग को 50 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां ।
11. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।


(जनार्दन दुबे)

एडीशनल कमिशनर (वैट) वाणिज्य कर,
उ0प्र0 ।

संख्या-2710

/ग्यारह-2-08-9(291)/07

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:

03/11/07
अक्टूबर, 2003

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-वैट-(08-09)/नियमावली संशोधन-609/वाणिज्यकर दिनांक 15.09.2008 जिसके द्वारा आडिट रिपोर्ट एवं एनुअल रिटर्न के फार्म उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के कतिपय नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- प्रस्तावित संशोधन में कर निर्धारण वर्ष 2007-08 का एनुअल रिटर्न दाखिल किये जाने की तिथि 31 दिसम्बर, 2008 किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त तथा नियमावली में संशोधन में समझ लगने की संभावना को देखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 31 अक्टूबर तक एनुअल रिटर्न (यथावश्यक आडिट रिपोर्ट सहित) दाखिल न किये जाने के सम्बन्ध में व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय। कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुकुंदीय,

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव